आवंटन
अनुदान संख्या–14
लेखाशीर्षक–4235608000324

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

1– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–उपनिदेशक (पं0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/28/2019–1/225/2018 **लखनऊः** **दिनांक 07 अगस्त, 2019**

विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से रू0 9987.60 लाख का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1560/33–3–2019–100(21)/2014, दिनांक 19.07.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0–10000.00 लाख** के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि **रू0–9987.60 लाख** उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.07.2019 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या–... में इंगित कुल रू0 **24.9690 लाख** निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट–1) तथा कालम संख्या 10 व 13 में इंगित कुल **रू0 9962.6310 लाख** की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट–2) इस प्रकार कुल रू0 **9987.60 लाख (रूपया निन्यानबे करोड़ ... लाख साठ हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि आवंटित की जाती हैः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2019–20 में प्राविधानित एवं आवंटित धनराशि का व्यय/... स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।
2. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण का प्रारम्भ किया जाय।
4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरुप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
5. इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक ... उपलब्ध हों।
6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। ... आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आंगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर ... कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना ... सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2019–20 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें।
9. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय ... का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ... स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10.उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "4235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।

11.इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्ठि स्थलो का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका/कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों/शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

12.शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

13.आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/ मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियम होगी।

14.आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

15.जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाये।

16.जनपद स्तर पर अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिये नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2–यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–12 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा०/28/2019 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–211001.
3. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. सम्बन्धित, मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0 ।
8. उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
9. आहरण/वितरण अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-07/08/2019

प्रेषण संख्या:- 1-sha-28-2019-1-225-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-225-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

(7)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
2	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280
5	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
8	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
9	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
10	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
11	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
12	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
13	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
14	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
15	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
16	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
17	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
18	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
19	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
20	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
21	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	24299100 24299100	24299100 24299100
22	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
23	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
24	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
25	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
26	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
27	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
28	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	24299100 24299100	24299100 24299100
29	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280
30	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280
31	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21869190 21869190	21869190 21869190
32	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
33	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	26729010 26729010	26729010 26729010
34	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
36	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280
37	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21869190 21869190	21869190 21869190

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
38	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21869190 21869190	21869190 21869190
39	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21869190 21869190	21869190 21869190
40	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
41	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
42	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280
43	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
44	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
45	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	19439280 19439280	19439280 19439280
46	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
47	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
48	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
49	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
50	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
51	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
52	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
53	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
54	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
55	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
56	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
57	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17009370 17009370	17009370 17009370
58	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
59	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
60	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
61	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
62	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
63	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12149550 12149550	12149550 12149550
64	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
65	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
66	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
67	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
68	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
69	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
70	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
71	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
72	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14579460 14579460	14579460 14579460
73	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
74	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
75	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9719640 9719640	9719640 9719640
	योग	वर्तमान प्रगामी	996263100 996263100	996263100 996263100

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया निन्यानवे करोड़ बासठ लाख तिरेसठ हजार एक सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया निन्यानवे करोड़ बासठ लाख तिरेसठ हजार एक सौ

(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1/2555/28/2019

संख्या- 1560/33-3-2019-100(21)/2014

प्रेषक,
जोगेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू. 10000.00 लाख में से रू 9987.60 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/542/2019-5/45/2019 दिनांक 20 जून, 2019 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2/2105/33-3-2014-100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित धनराशि रू. 10000.00 लाख में से रू 9987.60 लाख (रू. निन्यानबे करोड़ सत्तासी लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2019-20 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(2) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(3) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बनिधत जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2019-20 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

(9) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(11) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) शासकीय व्यय में मितव्ययतता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(15) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(16) जनपद स्तर पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने का फाण्ट

अनुदान संख्या-14

धनराशि लाख रू0 में

	क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या	रूपया 24.36 लाख प्रति इकाई की दर से कुल प्रस्तावित धनराशि	कार्यालय व्यय/कंटिजेन्सी हेतु प्राविधानित कुल धनराशि का 02 प्रतिशत							अंत्येष्टि स्थल की धनराशि तथा ग्राम पंचायत स्तर की कंटिजेन्सी की धनराशि (कालम संख्या-12) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित धनराशि
						निदेशालय स्तर (0.25 प्रतिशत)	मण्डल स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	जिला स्तर (0.25 प्रतिशत)	ब्लाक स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	कालम संख्या का (7+8+9) योग	कालम संख्या का (6+10) योग	ग्राम पंचायत स्तर पर (01 प्रतिशत)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24299100-	1	प्रयागराज	20	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	**2.4360**	241.1640
26729010-	2	आजमगढ़	22	11	267.9600	0.6699	0.6699	0.6699	0.6699	2.0097	2.6796	**2.6796**	265.2804
24299100-	3	जौनपुर	21	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	**2.4360**	241.1640
21869190-	4	सीतापुर	19	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	**2.1924**	217.0476
21869190-	5	गोरखपुर	19	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	**2.1924**	217.0476
21869190-	6	हरदोई	19	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	**2.1924**	217.0476

17009370-	7	खीरी	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
17009370	8	कुशीनगर	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
19439280-	9	गाजीपुर	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
19439280-	10	गोण्डा	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
17009370-	11	बहराइच	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
19439280	12	प्रतापगढ़	17	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
17009370	13	बरेली	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
19439280-	14	बलिया	17	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
17009370-	15	बाराबंकी	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
12149550-	16	बिजनौर	11	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
19439280-	17	देवरिया	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
19439280-	18	बुलन्दशहर	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
19439280-	19	उन्नाव	16	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	1.9488	192.9312
21869190-	20	रायबरेली	18	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	2.1924	217.0476
14579460-	21	अलीगढ़	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
17009370-	22	आगरा	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
17009370-	23	बदायूँ	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
14579460-	24	महराजगंज	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	1.4616	144.6984
12149550-	25	सहारनपुर	11	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
17009370-	26	सिद्धार्थनगर	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
17009370-	27	शाहजहाँपुर	15	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	1.7052	168.8148
9719640-	28	वाराणसी	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656

A

14579460-

	29	फतेहपुर	13	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	**1.4616**	144.6984
17009370-	30	बस्ती	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	**1.7052**	168.8148
17009370-	31	सुलतानपुर	14	7	170.5200	0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.2789	1.7052	**1.7052**	168.8148
14579460-	32	मिर्जापुर	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	**1.4616**	144.6984
12149550-	33	मुजफ्फरनगर	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
12149550-	34	अयोध्या	11	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
9719640-	35	अम्बेडकरनगर	9	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
9719640-	36	मुरादाबाद	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
12149550-	37	बलरामपुर	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
12149550-	38	मथुरा	10	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
14579460-	39	अमेठी	13	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	**1.4616**	144.6984
7209730-	40	रामपुर	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	**0.7308**	72.3492
12149550-	41	चन्दौली	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
12149550-	42	मऊ	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
9719640-	43	सम्भल	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
9719640-	44	पीलीभीत	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
14579460-	45	मेरठ	12	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	**1.4616**	144.6984
12149550-	46	फिरोजाबाद	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
9719640-	47	सोनभद्र	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
12149550-	48	कानपुर देहात	10	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
12149550-	49	संतकबीरनगर	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820
12149550-	50	मैनपुरी	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	**1.2180**	120.5820

12149550	51	कानपुर नगर	10	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	1.2180	120.5820
9719640	52	लखनऊ	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	53	बांदा	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	54	एटा	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	55	कौशाम्बी	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	56	फर्रूखाबाद	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
7289730	57	अमरोहा	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
9719640	58	कन्नौज	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
7289730	59	सं०र०नगर	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
12149550	60	जालौन	9	5	121.8000	0.3045	0.3045	0.3045	0.3045	0.9135	1.2180	[illegible]	[illegible]
9719640	61	हाथरस	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	62	इटावा	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	63	झांसी	8	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	64	औरैया	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
9719640	65	कासगंज	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
7289730	66	श्रावस्ती	5	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
7289730	67	ललितपुर	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
7289730	68	बागपत	6	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
4859820	69	हापुड़	4	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
7289730	70	शामली	5	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
7289730	71	चित्रकूट	5	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
4859820	72	गौतमबुद्धनगर	4	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328

73	हमीरपुर	7	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	0.9744	96.4656
74	गाजियाबाद	4	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
75	महोबा	4	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
	योग-	821	410	9987.6000	24.9690	24.9690	24.9690	24.9690	74.9070	99.8760	99.8760	[illegible]

(निन्यानवें करोड़ सत्तासी लाख साठ हजार रूपये मात्र)

नोटः- 1. कालम संख्या 5 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 तथा कालम संख्या 6 7 व 8 की कुल कालम संख्या 9 में इंगित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।